पत्रांक-कारा/स्था0(चि0)01-03/16.......2227...........

बिहार सरकार

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय

गृह विभाग।

प्रेषक,

राजीव वर्मा,
संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0),
बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक..12../..4...../ 2016

विषय:-**स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना ज्ञापांक 326(2) दिनांक 30.03.2016 द्वारा सेवा प्राप्त चिकित्सकों के प्रमाण-पत्रों की जाँच के विज्ञापन का प्रकाशन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना ज्ञापांक 326(2) दिनांक 30.03.2016 द्वारा सेवा प्राप्त 88 चिकित्सकों की मूल प्रमाण-पत्रों की जाँच दिनांक 22.04.2016 को पुरानी सचिवालय स्थित सभागार (प्रथम तल) में करने का निर्णय लिया गया है। इसकी पाँच प्रति सी.डी. के साथ संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इसे प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में यथाशीघ्र लगातार [illegible] दिन प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

[illegible]र्युक्त पर प्रधान सचिव, गृह विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

12.4.16

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0)
बिहार, पटना।

.....दिनांक..........12-4-16....पटना।

को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु

12.4.16

संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0)
बिहार, पटना।

D:\DIR. CELL\Ranjeet\Bihar Government Home Department...

बिहार सरकार
गृह विभाग।

आवश्यक सूचना

(सेवा प्राप्त चिकित्सकों के मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन)

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या 326 (02)/स्वा0 दिनांक 30.03.2016 के द्वारा गृह (कारा) विभाग एवं गृह (आरक्षी) विभाग को सौपी गई क्रमशः 60 एवं 28 चिकित्सकों के मूल प्रमाण पत्रों की जाँच निम्न विवरणी के अनुसार की जायेगी।

क्र0	विभाग का नाम	सेवा प्राप्त चिकित्सकों की संख्या	सत्यापन की तिथि/समय	स्थान
1.	गृह (कारा) विभाग	60	22.04.2016 पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह् 5.00	मुख्य सभागार (प्रथम तल) पुराना सचिवालय, पटना
2.	गृह (आरक्षी) विभाग	28	22.04.2016 पूर्वाह्न 10.30 बजे से अपराह् 5.00	मुख्य सभागार (प्रथम तल) पुराना सचिवालय, पटना

सभी सेवा प्राप्त चिकित्सकों को सूचित किया जाता है कि वे ऊपर वर्णित कार्यक्रम के अनुसार ससमय अपने सभी मूल प्रमाण–पत्र तथा उसकी एक छायाप्रति के साथ सत्यापन हेतु निर्धारित स्थान पर उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन के पश्चात् ही उनके पदस्थापन संबंधी अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

ह0/–

प्रधान सचिव
गृह विभाग
बिहार, पटना।